कार्यालय अस्पताल अधीक्षक,

चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय,

कचान्दुर, दुर्ग (छ.ग) ई–मेल :– ccmgmchdurg@gmail.com

क्रमांक / रखरखाव / CCMGMCH / 2023 / 2925 दुर्ग, दिनांक / 27.12.2023

/ / रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव प्रारूप तथा नियम शर्ते / /

सी0टी0 स्कैन मशीन का व्यापक रखरखाव अनुबंध (सी.एम.सी.) – (प्रस्ताव–01)

क्रं.	सी0टी0स्कैन मशीन का विवरण	संख्या	वार्षिक रख–रखाव दर	कर विवरण	कुल राशि
01	Siemens, Model – Somatom Sensation, Serial No. 50864	01			

सी0टी0 स्कैन मशीन का वार्षिक रखरखाव अनुबंध (ए.एम.सी.) – (प्रस्ताव–02)

क्रं.	सी0टी0स्कैन मशीन का विवरण	संख्या	वार्षिक रख–रखाव दर	कर विवरण	कुल राशि
01	Siemens, Model – Somatom Sensation, Serial No. 50864	01			

सी0टी0 स्कैन मशीन का वर्तमान स्थिति में रखरखाव प्राक्कलन – (प्रस्ताव–03)

क्रं.	Siemens, Model – Somatom Sensation, Serial No. 50864	संख्या	मूल्य	कर विवरण	कुल राशि
1	पार्टस के दर का विवरण प्रति नग				
2	सर्विस चार्ज				
3	ट्रान्सपोर्टेशन				
4	सर्टिफिकेशन चार्ज इत्यादि				

सी0टी0 स्कैन मशीन के वार्षिक सी.एम.सी / ए.एम.सी. अनुबंध हेतु नियम एवं शर्तें :–

1. प्रस्ताव के प्राप्त दर की वैधता एक वर्ष तक रहेगी जिस हेतु 100/–रू. नॉन जूडिशयल स्टॉम्प पेपर में अनुबंध किया जायेगा। अनुबंध दिनांक से प्रस्ताव एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
2. कोटेशन में दर के साथ जी.एस.टी. या कोई अन्य टैक्स हो तो स्पष्ट उल्लेख करे।
3. रखरखाव हेतु चिकित्सालय में भौतिक निरीक्षण स्वयं कर दर प्रस्तुत करें। **"जहाँ है जैसा है" के शर्त पर रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित है।**
4. वार्षिक रखरखाव अनुबंध (ए.एम.सी.) का दर मशीनो की वर्तमान स्थिती को देखकर ही उल्लेखित करें।
5. आपातकालीन स्थिति (दूरभा) पर बुलाये जाने पर 24 घंटे के भीतर सर्विस देना अनिवार्य होगा।
6. रखरखाव का कार्य संतोष प्रद होने पर समान शर्ते एवं दरो पर वैधता बढ़ाई जा सकती है।
7. किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृत अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधिक्षक, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय, कचांदूर, दुर्ग छ.ग. को होगा, जिसका कारण बताने के लिये कार्यालय बाध्य नहीं है।
8. उक्त कार्य हेतु निर्माता/अधिकृत/अनुभवी फर्म अथवा सर्विस प्रोवाईडर उक्त प्रस्ताव में शामिल हो सकते है।

क्रमशः...2.....

9. सेवा प्रदाय किये जाने के उपरांत सर्विस रिर्पोट प्रदाय करनी होगी जो कि, विभागाध्यक्ष रेडियोलॉजी द्वारा सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

10. अनुशांसित किये गये फर्म को आदेश जारी होने के उपरांत 60,000/— रू. सुरक्षा निधी के रूप में एफ.डी.आर. चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्व चिकित्सालय, कचांदूर, दुर्ग छ.ग. के नाम से प्रस्तुत करना होगा।

11. सी.टी.स्कैन मशीन का प्रस्ताव 01, 02 एवं 03 का अनुबंध प्रदाय की गई सर्विस दर शामिल होगी। वार्षिक रखरखाव का भुगतान 06—06 माह की अवधि में किया जायेगा, प्रथम भुगतान वार्षिक रखरखाव के 06 माह पूर्ण करने के पश्चात् एवं अंतिम भुगतान 01 वर्ष सफलतापूर्वक सेवा प्रदाय किये जाने के पश्चात् किया जायेगा। यदि वार्षिक रखरखाव संतोषप्रद नहीं किये जाने की स्थिती में आदेश निरस्त कर एफ.डी.आर. की राशि राजसात किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

12. समस्त क्रय/रखरखाव कार्य की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 अथवा प्रचलित शासन के भंडार क्रय नियम/ शासकीय नियम के अनुसार शासित होंगे।

13. शर्ते के पालन नहीं किये जाने की स्थिति में या किसी भी विवाद की स्थिती आदेश निरस्त किया जा सकता है एवं नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है। न्यायालयीन प्रकरण केवल जिला न्यायालय, दुर्ग के अधिकार क्षेत्र में ही मान्य होंगे।

14. राज्य शासन या उसके किसी भी विभाग द्वारा किसी भी फर्म को काली सूची (ब्लैक लिस्टेड) में डाली जाने वाली फर्म मान्य नही होगी। उक्त संबंध में उन्हे शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त कार्य अत्याधिक मानक और बेहतर गुणवत्ता का होना चाहिए।

15. आपके द्वारा प्रदाय की गई समस्त जानकारी सत्य है एवं मुझे आपके सभी नियम एवं शर्ते मान्य है के संबंध में आपके एक नॉन जूडिश्यल स्टॉम्प पेपर में शपथ पत्र प्रस्तत करना होगा।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव मुहरबंद लिफाफे में जारी दिनांक से 30 दिवस के भीतर शाम 5:00 बजे तक जमा करने की व्यवस्था करें। विलंब से प्राप्त कोटेशन मान्य नहीं की जावेगी।

27.12.23

अस्पताल अधीक्षक
चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शा0चि0महा0
सम्बद्ध चिकित्सालय, दुर्ग